बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 26.11.25

संख्या–8/आ0 (राज0उ0)–2–64/2025 6707/ श्री अनिल कुमार आजाद, अधीक्षक मद्यनिषेध, औरंगाबाद के विरूद्ध अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना द्वारा धारा– 13 (1) (b) r/w 13 (2) r/w 12 Of PC Act, 1988 एवं BNS की धारा–61(2)(a) के तहत् विशेष निगरानी इकाई थाना कांड संख्या–26/25 दिनांक 22.11.2025 दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना द्वारा श्री आजाद के विरूद्ध लगभग 1,58,45,888/– रूपये आय से अधिक अर्जित किये जाने के संबंध में उक्त प्राथमिकी दर्ज की गयी है। श्री आजाद का यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 के प्रतिकूल है।

2. अतएव श्री अनिल कुमार आजाद, अधीक्षक मद्यनिषेध, औरंगाबाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9 (1)(ग) के अधीन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री आजाद का मुख्यालय–उपायुक्त मद्यनिषेध का कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ निर्धारित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में श्री आजाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–10 के तहत् अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5. मद्यनिषेध कार्यालय, औरंगाबाद में पदस्थापित वरीय निरीक्षक मद्यनिषेध, श्री चन्दन कुमार को तत्काल अधीक्षक मद्यनिषेध, औरंगाबाद का प्रभार प्रदान किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या–8/आ0 (राज0उ0)–2–64/2025 6707/
पटना, दिनांक– 26.11.25

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या–8/आ0 (राज0उ0)–2–64/2025 6707/
पटना, दिनांक– 26.11.25

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/ समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, औरंगाबाद/संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध/पुलिस अधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, दारोगा राय पथ, पटना को उनके पत्रांक–1187 दि0–24.11.2025 के आलोक में/जिला कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं पूर्णियाँ/उपायुक्त मद्यनिषेध, मगध प्रमंडल, गया एवं पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा–5/आई0टी0 मैनेजर/श्री अनिल कुमार आजाद, अधीक्षक मद्यनिषेध, औरंगाबाद एवं श्री चन्दन कुमार, निरीक्षक मद्यनिषेध, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव